भारत INDIA
बीस रूपये
TWENTY RUPEES

नवीन प्रकरण 3765/2012

न्यायालय म०प्र०राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर मध्यप्रदेश
प्रकरण क्रं:- /नि०/११ — R-3765-I/12

आरिफखाँ पिता तुराफखाँ उम्र ५० साल
धंधा कृषि निवासी नलखेड़ा तहसील
नलखेड़ा जिला शाजापुर (म०प्र०)

.........आवेदक

विरूद्ध

०१. नेमीचन्द पिता इन्दरमल उम्र ७० साल
०२. पारस पिता ईन्दरमल उम्र ५२ साल
०३. पवन पिता इन्दरमल उम्र ५० साल
०४. दिलीप पिता इन्दरमल उम्र ३८ साल
०५. भरत पिता प्रेमचन्द उम्र ४२ साल समस्त निवासी जवाहर मार्ग नलखेड़ा जिला शाजापुर (म०प्र०)

...........अनावेदकगण

203
7/9/2012

## पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा ५० भू०रा० संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय तहसीलदार महोदय नलखेड़ा जिला शाजापुर के प्रकरण क्रं० ३०/अ-१२/१०.११ में पारित आदेश दिनांक २६/०६/११ से असन्तुष्ट एवं दुखित होकर धारा ५ अवधि विधान के आवेदन में लिखे गए कारणों के आधार पर पुनरीक्षण अन्दर अवधि प्रस्तुत करता है।

०१. यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि विधान एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

०२. यह कि आवेदक ने तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध कलेक्टर महोदय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की थी परन्तु उनके द्वारा दिनांक ०६.०८.१२ को वापस लोटादी गई तथा यह आदेशित किया गया कि भू०रा०संहिता मे हुए संशोधन के अनुसार निगरानी के सम्बन्ध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार उनको नहीं है जबकि यह विधि की गलत विवेचना हे अधीनस्थ न्याायालय कलेक्टर महोदय को निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है लेकिन उसके उपरांत उनके द्वारा निरानी वापस लौटा दी गई इस कारण माननीय न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

XXIX(a)-BR(H)-11

207

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-3765-एक/12 **जिला** - शाजापुर

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 5-12-18 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों।<br>**प्रशासकीय सदस्य** | |